

अनुमति की शर्तें।

- (i) उक्त भवन/सूचना के निर्माण की स्वीकृति स्वतंत्र सिद्ध नहीं करती है।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यापिक, राजस्वीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी अतिथि के लिए उत्तरदायी होगा।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारंभ करने ही आवेदक निगम को सूचित करेगा।
- (iv) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निगम को ज्ञात कराया जायेगा।

एकत्र शिखरी देवल शालाश्रीय अग्नीपत्तरी

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

जी-1
शालाश्रीय

आवेदन क्रमांक 143 दिनांक 25/06/2019
 प्रार्थिका शिखरी देखा सोनी प्लॉट नं० 93 काग्रेस रोड सोनी
 जे.एस.एस. नगर पालिका अधिनियम 2009 P. No 93 जयपुर नगर शिखरी
 धारा 194 (7) (घ) के तहत आवामोय शक्यता नं. 122 अमल घोषणा
 भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश कर स्वयंनिर्माण राजि करने 125000 रु।
 नगरीय रसीद संख्या 1028/3002, 3003
 दिनांक 25/06/2019 को जमा करा दी है।

प्रत्येक
नगर निगम, जोधपुर

पंकज
नौलम माथुर
सहायक नगर निरीक्षक
नगर निगम, जोधपुर

25/6/18
9414692838